रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12072022-237254
CG-DL-E-12072022-237254

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 494] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 12, 2022/आषाढ़ 21, 1944
No. 494] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 12, 2022/ASHADHA 21, 1944

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य विधि नियम, 2021)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 532(अ).—यह दिनांक 10.08.2021 के सा.का.नि. सं. 550(अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य विधि नियम, 2021 का शुद्धिपत्र है।

नियम	विद्यमान प्रविष्टियों के लिए	पढ़ा जाए
	अध्याय III **आयोग द्वारा अन्वेषण तथा जांच**	
9	**अन्वेषण तथा जांच की पद्धति**	
9.3.1	शिकायत को सीधे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग या क्षेत्रीय कार्यालय को संबोधित किया जाना चाहिए।	शिकायत सीधे अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संबोधित किया जाना चाहिए।
9.3.4	शिकायतों में आरक्षण नीति, डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन, भारत सरकार के आदेशों, राज्य सरकार के आदेशों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के	शिकायतों में आरक्षण नीति, डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन, भारत सरकार के आदेशों, राज्य सरकार के आदेशों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त

	आदेशों या आरक्षण के नियमों के किसी अन्य उल्लंघन का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।	निकायों के आदेशों एवं नियमों आदि और किसी अन्य नियमों के उल्लंघन जैसे लागू कानून और नियमों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।
13	**राज्य एजेंसियों द्वारा अन्वेषण**	**राज्य एजेंसियों/अन्य संस्थानों द्वारा अन्वेषण या जांच**
13.1 13.2	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य अन्वेषण या जांच के बारे में निर्णय ले सकते हैं जिसे राज्य एजेंसियों के माध्यम से कराया जा सकता है। इस निर्णय को राज्य/राज्य एजेंसियों के मुख्य सचिव/प्रभारी अधिकारी को सूचित किया जाएगा। वह निर्धारित समयावधि के भीतर मामले का अन्वेषण या जांच करेगा और रिपोर्ट भेजेगा। किसी अन्य संस्थान/केंद्र सरकार द्वारा पोषित विभाग एवं इसके सांविधिक निकाय द्वारा अन्वेषण	अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ सदस्य अन्वेषण या जांच के बारे में निर्णय ले सकते हैं जिसे राज्य एजेंसियों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन/ सांविधिक निकाय/केंद्र/राज्य सरकार द्वारा पोषित किसी अन्य संस्थान के माध्यम से कराया जा सकता है। इस निर्णय को संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के मुख्य सचिव/केंद्र/राज्य सरकार द्वारा पोषित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक निकाय/स्वायत्त निकाय/ संस्थान से संबंधित प्रमुख को सूचित किया जाएगा।
	अध्याय IV **आयोग की बैठकें**	
25.	**शुल्क**	
	आयोग की बैठक में उपस्थित होने के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा सदस्य किसी शुल्क के हकदार नहीं होंगे। परंतु यदि कोई अंशकालिक सदस्य हों तो उनकी पात्रता ऐसे सदस्यों की नियुक्ति की शर्तों में निर्धारित की जाएगी।	25.1 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा सदस्य आयोग की बैठक के लिए किसी शुल्क के हकदार नहीं होंगे। 25.2 आयोग की बैठक में और आयोग द्वारा आयोजित कार्यशालाओं/सम्मेलनों में भाग लेने के लिए विशेष आमंत्रितों, विषय विशेषज्ञों और प्रतिभागियों यदि कोई हो, की पात्रता आयोग निर्धारित कर सकता है।
	अध्याय VI **आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्त्तव्य**	
32	**यह आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों का कर्त्तव्य होगा।**	
32.1	उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में आयोग के "आंख और कान" के रूप में कार्य करना	32.1 उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में आयोग के "आंख और कान" के रूप में कार्य करना और मुख्यालय से पूर्व अनुमोदन के बिना कार्य नहीं करेगा।
32.4	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और प्रगति के लिए संघ सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में मीडिया को सूचना और प्रलेखन देना। इसी प्रकार की सूचना और प्रलेखन ऐसे संगठनों से प्राप्त करना और अनुसूचित जनजातियों के हितों पर राज्य में प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण	32.4 अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और प्रगति के लिए संघ सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में मीडिया को सूचना और प्रलेखन प्रदान करना। ऐसे संगठनों से इसी प्रकार की सूचना और प्रलेखन प्राप्त करना और अनुसूचित जनजातियों के हितों पर राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों में

	विकास, सामाजिक गतिविधियों, नीति-परिवर्तन आदि के बारे में सूचना/प्रलेखन आयोग के मुख्यालय को उपलब्ध करवाना।	प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण विकास, सामाजिक गतिविधियों, नीति-परिवर्तन आदि के बारे में सूचना/प्रलेखन को आयोग के मुख्यालय को उपलब्ध करवाना।
32.7	उनके द्वारा स्वयं अथवा मुख्यालय द्वारा उनको सौंपे गए अनुसूचित जनजातियों पर हुए अत्याचार के मामलों की स्थलीय जांच करना और संबंधित प्रशासनिक/पुलिस प्राधिकारियों से विचार-विमर्श करना तथा मुख्यालय को सूचना देना।	32.7 मुख्यालय द्वारा या मुख्यालय के पूर्व अनुमोदन से उनको सौंपे गए अनुसूचित जनजातियों पर हुए अत्याचार के मामलों की स्थलीय जांच करना और संबंधित प्रशासनिक/पुलिस प्राधिकारियों से विचार-विमर्श करना तथा मुख्यालय को रिपोर्ट करना।
32.8	व्यक्तिगत, अनुसूचित जनजाति कल्याण संस्थाओं आदि से भिन्न विषयों पर प्राप्त शिकायतों/अभ्यावेदनों का निपटान करना।	32.8 विभिन्न विषयों पर व्यक्तिगत, अनुसूचित जनजाति कल्याण संस्थाओं आदि से प्राप्त शिकायतों/अभ्यावेदनों को उचित माध्यम से बिना विलंब के मुख्यालय को स्वत: पूर्ण टिप्पणी सहित उचित कार्रवाई के लिए अग्रेषित करना।
32.10	32.10 विशेष संघटक योजना (एस.सी.पी.) तथा विशेष केंद्रीय सहायता (एस.सी.ए.) के विशेष संदर्भ में राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित मुद्दों को एकत्र करना, संकलित करना, विश्लेषण करना तथा अनुवीक्षण करना और उनके अधिकार क्षेत्र के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों संबंधी रिपोर्टों का मसौदा तैयार करना।	32.10 अनुसूचित जनजाति घटक (एस.टी.सी.) (पूर्व में जनजातीय उप योजना (टी.एस.पी.)) तथा विशेष केंद्रीय सहायता (एस.सी.ए.) के विशेष संदर्भ में राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित मुद्दों को एकत्र करना, संकलित करना, विश्लेषण करना तथा अनुवीक्षण करना और उनके अधिकार क्षेत्र के अधीन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित रिपोर्टों का मसौदा तैयार करना।
	अध्याय VII **आयोग की परामर्शी भूमिका**	
36	**अनुसंधान/अध्ययन/सर्वेक्षण/मूल्यांकन**	**अनुसंधान/अध्ययन/सर्वेक्षण/मूल्यांकन/ कार्यशाला/सम्मेलन**
36.1	संघ या राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए चलाई जा रही विकास योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए आयोग अध्ययन करा सकता है। इस योजना से आयोग मुख्यालय में या क्षेत्रीय कार्यालयों में अध्ययन दलों का गठन कर सकता है। अध्ययन दल स्वतंत्र रूप से अथवा केंद्र या राज्य सरकारों के प्राधिकारियों या विश्वविद्यालयों या अनुसंधान निकायों के सहयोग से अन्वेषण, सर्वेक्षण या अध्ययन कर सकते हैं।	36.1 संघ या राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए चलाई जा रही विकास योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए आयोग अध्ययन करा सकता है। इस योजना के लिए आयोग मुख्यालय में या क्षेत्रीय कार्यालयों में अध्ययन दल का गठन कर सकता है। अध्ययन दल केंद्र या राज्य सरकारों के प्राधिकरणों या विश्वविद्यालयों या अनुसंधान निकायों, जैसा भी मामला हो, के सहयोग से अनुसंधान, अध्ययन, सर्वेक्षण या मूल्यांकन कर सकते हैं या स्वतंत्र रूप से ऐसा कर सकते हैं। 36.5 अध्यक्ष स्वयं या उपाध्यक्ष/सदस्य के अनुरोध पर कार्यशाला, सम्मेलन, बैठक और आयोग की बैठक के

		किसी कार्यसूची की मद पर चर्चा के लिए किसी व्यक्ति को आमंत्रित कर सकता है।
	अध्याय IX **विविध**	
40	**आयोग द्वारा की जाने वाली अनौपचारिक कार्रवाईयां**	
40.4	इन नियमों में अनुसूचित जनजातियों से वही अभिप्राय होगा जैसा संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड 10 में दिया गया है।	40.4 इन नियमों में अनुसूचित जनजातियों से वही अभिप्राय होगा जैसा संविधान के अनुच्छेद 342 में दिया गया है।
41	**केंद्रीय सरकार के नियमों आदि की प्रयोज्यता**	
41.1	केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए सभी नियम, विनियम और आदेश जो मंत्रालयों/विभागों में लागू हैं आयोग में भी लागू होंगे।	41.1 केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नियम, विनियम जो मंत्रालयों/विभागों में लागू है, आयोग में भी लागू होंगे जब तक आयोग द्वारा संबंधित नियम और विनियम तैयार नहीं कर लिया जाता।
42	**स्टाफ कारों का उपयोग**	**स्थानीय परिवहन को किराये पर लेना**
	भारत सरकार के स्टाफ कार नियम आयोग में स्टाफ कारों के उपयोग पर भी लागू होंगे।	42.1 भारत सरकार के स्टाफ कार नियम आयोग में स्टाफ कारों के उपयोग पर भी लागू होंगे। 42.2 अर्थव्यवस्था के कारण ऐप आधारित टैक्सी सेवा के माध्यम से स्थानीय परिवहन के लिए विभागाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से आयोग के अधिकारी एवं कर्मचारी पात्र होंगे। उन क्षेत्रों में जहां ऐप आधारित सेवा उपलब्ध नहीं है इकोनोमी परिवहन का कोई अन्य साधन का लाभ उठा सकते हैं।
43	**इन नियमों में मामले पर निर्णय विनिर्दिष्ट नहीं है।**	
43.2	सामानों की खरीद से संबंधित सभी प्रस्तावों के साथ-साथ उन संबंधित वित्तीय निहितार्थ में आयोग शामिल है जो 8,00,000/-रूपए (आठ लाख रूपए) से अधिक है, आयोग द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे।	43.2 सामानों की खरीद से संबंधित सभी प्रस्तावों के साथ-साथ उन संबंधित वित्तीय निहितार्थ में आयोग शामिल है जो 8,00,000/-रूपए (आठ लाख रूपए) से अधिक है, अध्यक्ष, एनसीएसटी द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे। एनसीएसटी के वित्तीय शक्तियों के स्पष्टीकरण के संबंध में दिनांक 11.10.2018 के "जनजातीय कार्य मंत्रालय" के पत्र सं. 48011/6/2014-स्था. में बताया गया है कि एनसीएसटी के अध्यक्ष को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978; सामान्य वित्तीय नियम, 1963; बुनियादी और पूरक नियम; केंद्रीय

		सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972; केंद्रीय सिविल सेवा (कार्य ग्रहण समय) नियम, 1979 और सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम 1960; अंशदान भविष्य निधि नियम और उसी प्रकार अन्य नियम से संबंधित केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग की शक्तियां प्रदत्त किया गया है।

[फा. सं. 23/02/एनसीएसटी/2021-समन्वय]

अलका तिवारी, सचिव

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(Rules of Procedure of National Commission for Scheduled Tribes, 2021)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 5th July, 2022

G.S.R. 532(E).—This is a corrigendum of Rules of Procedure of National Commission for Scheduled Tribes, 2021 published in the Gazette of India on 10.08.2021 vide GSR No. 550 (E)

Rule	For Existing entries	Read
	CHAPTER III **INVESTIGATION AND INQUIRY BY THE COMMISSION**	
9	**METHODS OF INVESTIGATION AND INQUIRY**	
9.3.1	The complaint should be directly addressed to the Chairperson/Vice Chairperson/Member(s), National Commission for Scheduled Tribes, New Delhi or Regional Offices.	The complaints should be directly addressed to the Chairperson/Vice Chairperson/ Member(s), National Commission for Scheduled Tribes.
9.3.4	Complaints should clearly disclose the violation of Reservation Policy, DOPT OMs, Government of India Orders, State Government Orders, PSUs and Autonomous Bodies Orders, or any other violation of Rules of Reservation.	Complaints should clearly disclose the violation of applicable laws and rules such as Reservation Policy, DoPT OMs, Government of India Orders, State Government Orders, Orders and Rules etc. of PSUs and Autonomous Bodies and violation of any other Rules.
13	**INVESTIATION BY THE STATE AGENCIES**	**INVESTIGATION OR INQUIRY BY THE STATE AGENCIES / OTHER INSTITUTIONS**
13.1	The Chairperson / Vice-Chairperson / Member(s) may decide about an investigation or inquiry that may be carried out through the State Agencies. The decision will be convened to the Chief Secretary/Officer-in-charge of the concerned State/State Agency(s) who will be asked to get the matter investigated or inquired into within a stipulated time and send the report.	The Chairperson / Vice-Chairperson/Member(s) may decide about an investigation or inquiry that may be carried out through the State Agencies / Union Territory Administration / Statutory Bodies / any other Institution funded by the Central/State Government. The decision will be conveyed to the Chief Secretary of the concerned State Government/ Union Territory Administration /Head of the concerned PSU/Statutory Body / Autonomous Body/ Institution funded by the Central/State Government.
13.2	Investigation by any other Institution / Department funded by Central Govt. & its Statutory Bodies.	

	CHAPTER IV **MEETINGS OF THE COMMISSION**	
25	**FEE**	
	The Chairperson, the Vice-Chairperson and the Members shall not be entitled to any fee for sitting in the meeting of the Commission. However, the entitlement of part-time Members, if any, may be determined by the terms of appointment of such Members.	25.1 The Chairperson, the Vice-Chairperson and the Members shall not be entitled to any fee for sitting / meeting of the Commission. 25.2 Commission may determine the entitlement of the special invitees, subject experts and participants if any, for attending the meeting/sitting of the Commission and for participating in the workshops/conferences organized by the Commission.
	CHAPTER VI **DUTIES OF THE REGIONAL OFFICES OF THE COMMISSION**	
32	**IT SHALL BE THE DUTY OF THE REGIONAL OFFICES OF THE COMMISSION**	
32.1	To act as the "eyes and ears" of the Commission in the Region(s) under their jurisdiction.	32.1 To act as the "eyes and ears" of the Commission in the Region(s) under their jurisdiction and shall not act without prior approval from the Headquarters.
32.4	To provide information and documentation about the policies and programmes of the Union Government for the welfare and advancement of Scheduled Tribes to the States, NGOs Media in their respective jurisdiction, and obtain similar information and documentation from such organizations and provide to the Headquarters of the Commission information /documentation about important developments, social movements, policy changes etc. in the State(s) affecting the interest of Scheduled Tribes.	32.4 To provide information and documentation about the policies and programmes of the Union Government for the welfare and advancement of Scheduled Tribes to the States, NGOs, Media in their respective jurisdiction and obtain similar information and documentation from such organizations and provide to the Headquarters of the Commission information / documentation about important developments, social movements, policy changes etc. in the State(s), Union Territory(s) affecting the interest of Scheduled Tribes.
32.7	To conduct on-the-spot inquiries into cases of atrocities on Scheduled Tribes either on their own or as entrusted to them by Headquarters and interact with the concerned Administrative / Police authorities having jurisdiction and report to the Headquarters.	32.7 To conduct on-the-spot inquiries into cases of atrocities on Scheduled Tribes as entrusted to them by Headquarters or with prior approval of the Headquarters and interact with the concerned Administrative / Police authorities having jurisdiction and report to the Headquarters.
32.8	To deal with complaints/representations from individuals, Scheduled Tribes Welfare Associations, etc., on various matters.	32.8 To receive complaints/representation from individuals, Scheduled Tribes Welfare Association etc., on various matters and forward the same for appropriate action alongwith a self-contained note to the Headquarters without undue delay through proper channel.
32.10	To collect, compile, analyse and monitor issues pertaining to development of Scheduled Tribes in the states especially with reference to Tribal Sub Plan (TSP) and Special Central Assistance (SCA) and prepare drafts of Reports pertaining to the State(s)/UT(s) under their jurisdiction.	32.10 To collect, compile, analyse and monitor issues pertaining to development of Scheduled Tribes in the states especially with reference to Scheduled Tribe Component STC (erstwhile known as Tribal Sub Plan (TSP)) and Special Central Assistance (SCA) and prepare drafts of Reports pertaining to the States(s)/UT(s) under their jurisdiction.

	CHAPTER VII **ADVISORY ROLE OF THE COMMISSION**	
36	**RESEARCH/STUDIES/SURVEYS /EVALUATION**	**RESEARCH / STUDIES / SURVEYS / EVALUATION / WORKSHOPS/ CONFERENCES**
36.1	The Commission may undertake studies to evaluate the impact of the development schemes on the socio-economic development of the Scheduled Tribes taken up by the Union or State Government(s) or Union Territory(s). For this purpose, the Commission may constitute Study Teams either at the Headquarters or at the Regional offices. The Study Teams may undertake investigations, surveys or studies either in collaboration with Central or State Govt. authorities or Universities or Research Bodies, as the case may be, or may do so independently.	36.1 The Commission may undertake studies to evaluate the impact of the development schemes on the socio-economic development of the Scheduled Tribes taken up by the Union or Sate Government(s) or Union Territory(s). For this purpose, the Commission may constitute Study Teams either at the Headquarters or at the Regional Offices. The Study Teams may undertake research, studies, surveys or evaluation either in collaboration with Central or State Government authorities or Universities or Research Bodies, as the case may be, or may do so independently.
		36.5 The Chairperson may on his own or on the request of the Vice Chairperson / Member, invite any person for workshops, conference, meeting and discussion in the sitting/meeting of the Commission on any agenda point.
	CHAPTER IX **MISCELLANEOUS**	
40	**NON-FORMAL ACTIONS BY THE COMMISSION**	
40.4	The Scheduled Tribes in these rules will have the same connotation as is given in clause 10 of Article 338A of the Constitution.	40.4 The Scheduled Tribes in these rules will have the same connotation as is given in Article 342 of the Constitution.
41	**APPLICABILITY OF RULES ETC., OF THE CENTRAL GOVERNMENT**	
41.1	All rules, regulations and orders issued by the Central Government and applicable in the Ministries/Departments will also apply in the Commission.	41.1 Rules and Regulations issued by the Government of India and applicable in the Ministries / Departments will apply in the Commission until corresponding Rules and Regulations are framed by the Commission.
42	**USE OF STAFF CARS**	**HIRING OF LOCAL TRANSPORT**
	The Staff Car Rules of the Government of India shall apply for the purposes of utilization of staff cars in the Commission.	42.1 The Staff Car Rules of the Government of India shall apply for the purposes of utilisation of staff cars in the Commission.
		42.2 Officers and Staff of the Commission with prior approval of the Head of Department will be entitled for local transport through App based Taxi services with due regard for economy. In areas where App based Taxi services are not available, any other means of transport with due regard to economy may be availed.
43	**DECISION ON MATTERS NOT SPECIFIED IN THESE RULES**	
43.2	All proposal relating to procurement of goods as well as those related financial implications	43.2 All proposals relating to procurement of goods as well as those with financial implications involving

	involving the Commission above Rs. 8,00,000/- (eight lakh) shall be approved by the Commission.	the Commission above Rs. 8,00,000/- (Eight lakh) shall be approved by the Chairperson, NCST. "Ministry of Tribal Affairs' letter No. 48011/6/2014—Estt. Dated 11.10.2018 relating to the clarification regarding financial powers of NCST which states that the Chairperson of the NCST has been conferred the powers of the Ministry / Department of the Central Government relating to the Delegation of Financial Powers Rules, 1978; the General Financial Rules, 1963; the Fundamental and Supplementary Rules; the Central Civil Service (Leave) Rules, 1972; the Central Civil Service (Joining Time) Rules, 1979 and the General Provident Fund (Central Service) Rules, 1960; Contributory Provident Fund Rules and similar other Rules;"

[F. No. 23/02/NCST/2021-Coord.]

ALKA TIWARI, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.